

उच्च न्यायालय : मध्य प्रदेश : जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक B/4822 /

जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2021

निर्देशानुसार, समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी/इंचार्ज को सूचित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों को निर्देशित करे कि वे भविष्य में अर्जित अवकाश का उपभोग करने के पूर्व वे म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के नियम 13 के अनुसार निर्धारित समयावधि (3 सप्ताह पूर्व) निर्धारित प्रपत्र पर अवकाश स्वीकृति हेतु अपने आवेदन पत्र समक्ष प्राधिकारी अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी/इंचार्ज की अनुशंसा उपरांत स्थापना शाखा में प्रस्तुत करें एवं बिना पूर्व अवकाश स्वीकृति के अवकाश का उपभोग करने की दशा में लिखित आवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक B/4823 /

जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2021.

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1-2/डी.ई./ई/व्ही/व्ही.एल./ ओ.एस.डी. -कम-पी. पी.एस./आईएलआर/एकजाम एवं लेबर ज्यूडीशियरी उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
2. वीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की बेवसाइड पर अपलोड करवाने हेतु।
3. विशेष कर्तव्य अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. असि. रजिस्ट्रार —————, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार, स्थापना/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.)लेखा/बजट/पेंशन/गोपनीय, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल/प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, सर्टकता/न्यायिक/परीक्षा महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/न्यायिक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

:—: